न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूनकरनसर

पीठासीन अधिकारी – के.सी. मीना, आर. ए. एस.

राजस्व वाद संख्या – 159/2017

1. राजेश कुमार
2. जयप्रकाश पिसरान खींयाराम जाति जाट साकिन थोरिया वस्ती, लूनकरनसर।

– वादीगण–

बनाम

1. चेतनराम खोलायत पुत्र मंगलाराम जाति जाट सा0 थोरिया वस्ती, लूनकरनसर
2. पानी बेवा तेजाराम जाट सा0 थोरिया वस्ती, लूनकरनसर – (फौत)
3. बालाराम
4. दलीप पि0 तेजाराम जाट सा0 थोरिया वस्ती, लूनकरनसर
5. शान्ति पुत्री तेजाराम पत्नि बेवाराम जाति जाट सा0 सुरनाणा

1/6 सीमा उर्फ सुमित्रा

2/6 बजरंगलाल . पुत्र–पुत्री चावली पुत्री तेजाराम पत्नि मांगूराम जाट

3/6 दिनेश

7. शारदा पुत्री तेजाराम पत्नि रामकुमार जाति जाट निवासी कालू तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, लूनकरनसर।

–प्रतिवादीगण–

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88, 89 आर. टी. एक्ट एवं धारा 136 एल. आर. एक्ट

उपस्थित –

1. श्री रामकरण मूंड, एडवोकेट वादीगण की ओर से।
2. पैरोकार राज

COMPARED BY

–:निर्णयः–

दिनांक :– 14.02.2019

वादीगण ने यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर टी एक्ट एवं धारा 136 एल आर एक्ट पेश कर निवेदन किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 7 एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है एवं काश्तकारी पेशा व्यक्ति है। वादगत कृषि भूमि वाके रोही उच्छरंगदेसर के खसरा नं0 114 तादादी 56.12 बीघा नये खसरा नं0 249 तादादी 14.32 हैक्टेयर, खसरा नं0 116 तादादी 33.18 बीघा नये खसरा नं0 253 तादादी 8.57 हैक्टेयर, खसरा नं0 155 तादादी 59.02 बीघा नये खसरा नं0 314 में 14.95 हैक्टेयर कुल 149.12 बीघा नये खसरा नं0 की तादादी 37.84 हैक्टेयर खातेदारी भूमि वादीगण के पूर्वजों के समय से चली आ रही है जिसका लगान वादीगण

प्रमाणित प्रतिलिपि

के पूर्वजों द्वारा अदा किया जाता रहा है। उक्त भूमि में से खसरा नं0 114 तादादी 56.12 बीघा नये खसरा नं0 249 तादादी 14.32 हैक्टेयर वादीगण के दादा उमाराम की 1/2 हिस्सा एवं मंगलाराम व तेजाराम की 1/4–1/4 हिस्सा बराबर में खातेदारी भूमि रही है। मंगलाराम व तेजाराम द्वारा दिनांक 18.08.98 को अपना 1/4–1/4 हिस्सा बैय कर जरिये पंजीकृत बैयनामा श्रीमती तुलछीदेवी पत्नि महराम जाट निवासी नौरंगदेसर के हक में पंजीबद्ध करवाकर तस्दीक व तकमील करवा दिया गया। श्रीमती तुलछीदेवी द्वारा अपनी क्रयशुदा भूमि जरिये पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 11.03.02 को अपने दोहितों जयप्रकाश एवं राजेश कुमार पि0 खींयाराम के नाम से तस्दीक करवा दी गई। उक्त कृषि भूमि जो जरिये पंजीकृत बैयनामा विक्रय की जा चुकी थी, का विरासतन नामान्तरकरण सं0 377 से जायज वारिसान के नाम गलत दर्ज कर दी गई जो वादीगण के हकों के सामने बेअसर है इसलिए उक्त भूमि मुताबिक बैयनामा क्रेता के दर्ज करने की बजाय जायज वारिसान के नाम से सहवन से दर्ज हुई है जिसकी वसीयत वादीगण के नाम से होने एवं क्रेता का देहावसान दिनांक 23.06.05 को हो जाने के कारण अपने हकों की घोषणा करवाने के वादीगण कानूनन अधिकारी है। वादीगण द्वारा दिनांक 10.11.2017 को बैंक लोन हेतु राजस्व रिकार्ड की रिपोर्ट हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क करने पर यह जानकारी हुई कि उक्त कृषि भूमि वादीगण के बजाय प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, इसी से वादकारण हासिल हुआ है अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावे।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 के बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर उसके खिलाफ इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई तथा शेष प्रतिवादीगण द्वारा उपस्थित होकर दावा स्वीकार किये ... कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES Rs. 2

4. वकील वादीगण की इकतरफा बहस सुनी गई।

वकील वादीगण ने अपनी बहस में दावा मीमो के कथनों को दोह... स्वीकार करने व घोषणात्मक डिक्री बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण इस ... जारी करने का निवेदन किया कि वादगत खातेदारी कृषि भूमि मौजा रोही उच्छरंगदेसर के पुराने खसरा नं0 114 तादादी 56.12 बींघा में से आधी 28.06 बीघा जिसके नये खसरा नं0 249 तादादी 7.16 हैक्टेयर वादीगण की नानी द्वारा क्रयशुदा भूमि होने से एवं नानी द्वारा जरिये पंजीकृत वसीयत वादीगण को दिये जाने के कारण राजस्व रिकार्ड में जहां जहां प्रतिवादीगण का नाम दर्ज है वहां वहां प्रतिवादीगण का नाम हटाकर वादीगण का नाम दर्ज करवाने हेतु निवेदन किया।

COMPARED BY
Suresh

5. प्रतिवादी सं0 1 के खिलाफ इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई है तथा अन्य प्रतिवादीगण द्वारा वाद पत्र डिक्री किये जाने के संबंध में अपनी अनापत्ति जाहिर की गई है। सरकार राज की ओर से बहस में कथन किया गया कि मामला दो पक्षकारों के मध्य का है जिसमें राज्य पक्ष प्रभावित नहीं होता है।

6. हमने वकील वादीगण की बहस के कथनों पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है एवं घोषणात्मक डिक्री बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण इस बिनाय की जारी की जाती है कि वादगत खातेदारी कृषि भूमि मौजा रोही उच्छरंगदेसर के पुराने खसरा नं0 114 तादादी 56.12 बीघा में से आधी 28.06 बीघा भूमि जिसके नये खसरा नं0 249 तादादी 14.32 हैक्टेयर 1/2 हिस्सा वादीगण की नानी श्रीमती तुलछीदेवी द्वारा जरिये बैयनामा क्रयशुदा भूमि होने से एवं श्रीमती तुलछीदेवी द्वारा जरिये पंजीकृत वसीयत वादीगण को दिये जाने के कारण, राजस्व रिकार्ड में उक्त खसरा नम्बर की 1/4–1/4 हिस्सा भूमि क्रमशः मंगलाराम व तेजाराम

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

Scanned by CamScanner

के जायज वारिसान के नाम बतौर विरासतन इंतकाल दर्ज हुई है, उक्त इन्द्राजात को 1/4–1/4 हिस्सा की हद तक प्रभावशून्य घोषित किया जाता है तथा वर्तमान रिकार्ड से प्रतिवादीगण का नाम हटाकर वादीगण का नाम जयप्रकाश, राजेश कुमार पि0 खींयाराम जाति जाट सा0 उच्छरंगदेसर दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 14.02.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(के.सी.मीना)
उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

COMPARED BY
Suresh

प्रमाणित प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

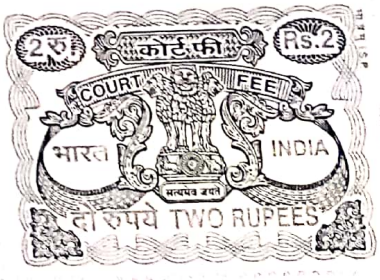

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लूनकरनसर

पीठासीन अधिकारी : के.सी.मीना, आर.ए.एस.

राजेश कुमार वगै0 **बनाम** चेतनराम वगै0

दावा अंतर्गत धारा 88,89 आरटीएक्ट एवं धारा 136 एलआरएक्ट

मुकदमा नम्बर : 159/2017

यह मुकदमा आज हमारे समक्ष वादीगण की ओर से श्री रामकरण मूण्ड की और प्रतिवादीगण की ओर से पैरोकारराज की उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख 14.02.2019 को न्यायालय के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि वादगत खातेदारी कृषि भूमि मौजा रोही उच्छरंगदेसर के पुराने खसरा नं0 114 तादादी 56.12 बीघा में से आधी 28.06 बीघा भूमि जिसके नये खसरा नं0 249 तादादी 14.32 हैक्टेयर 1/2 हिस्सा वादीगण की नानी श्रीमती तुलछीदेवी द्वारा जरिये बैयनामा क्रयशुदा भूमि होने से एवं श्रीमती तुलछीदेवी द्वारा जरिये पंजीकृत वसीयत वादीगण को दिये जाने के कारण, राजस्व रिकार्ड में उक्त खसरा नम्बर की 1/4–1/4 हिस्सा भूमि क्रमशः मंगलाराम व तेजाराम के जायज वारिसान के नाम बतौर विरासतन इंतकाल दर्ज हुई है, उक्त इन्द्राजात को 1/4–1/4 हिस्सा की हद तक प्रभावशून्य घोषित किया जाता है तथा वर्तमान रिकार्ड से प्रतिवादीगण का नाम हटाकर वादीगण का नाम जयप्रकाश, राजेश कुमार पि0 खींयाराम जाति जाट सा0 उच्छरंगदेसर दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है।

यह आज तारीख 14.02.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

COMPARED BY

Suresh

उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

उपखण्ड अधिकारी
लूनकरणसर

प्रमाणित प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

Scanned by CamScanner